राजस्थान सरकार

(कायदा – 129) माल का खेड़ा

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

२०२४/367

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
251- A(2) R.T.A प्रार्थना पत्र		२०२४/367	नवीन D.L.C. दर के रिपोर्ट मंगवाई	
	234/24 २34/24	26/6/24	19/11/24 फैसला	16/8/24 18/9/24 24/10/24 24/10/24 12/11/24 19/11/24

अनवान

श्री हीरालाल s/o गोविन्द राम रेगर श्री राजेन्द्रसिंह s/o रूपसिंह तंवर

निवासी चोकड़ी, तह. मणेला, सीकर निवासी बिजोलिया कोरट -(02)

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री महेश चन्द्र सुखवात श्री Ex- Party

श्री सुरेश कुमार शर्मा

श्री निर्मल कुमार खटीक

एडवोकेट्स

99825-35146

7891221758

क्र खेड़ा 2021/26

सरवरक

①

(कायदा –129)

12/5/21
20/07/21
तलबी ① 7/9/21
11/10/21
18/1/22
26/4/22
15/7/22
2/11/22
16/01/23
5/4/23
26/6/23
8/1/24

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेक्स फार्म नं.–8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,माण्डलगढ़ जिला –भीलवाड़ा(राज.)

किस्म मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	फैसल नं. 5
251-(A)(2) RTA प्रा०पत्र	34/21	24/3/21		

अनवान

श्री हीरालाल पिता गोविन्द राम रेगर (श्री राजेन्द्र सिंह पिता रूपसिंह तंवर
निवासी चौकड़ी तह० बड़ौलिया जिला सीकर निवासी बिजौलिया वगैरह ②

श्री महेश चन्द्र पुरवाल
अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलाण्ट /

Ex-Party
अधिवक्ता प्रति. / विपक्षी / रेस्पोडेण्ट

डिकीदार

मदयुनान

Crim-I

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम माण्डलगढ़
हीरालाल रेगर बनाम राजेन्द्र सिंह देवड़ा
किस्म मुकदमा 251-A(ग) RTA नं. 34/21

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/3/21	प्रार्थनापत्र सीगे से बाद जॉच पेश हुआ। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थनापत्र भेज की जावें। पत्रावली वास्ते तलबी / जवाब दिनांक 12/5/21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ	
12/05/21	[illegible] के संक्रमण के कारण [illegible] लॉकडाउन होने एवं मा. राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त निर्देशानुसार लॉकडाउन अवधि में न्यायिक कार्य स्थगित रखे जाने के कारण पत्रावली दिनांक 20/07/21 को पेश हो।	
20/7/21	वकील प्रार्थी उप० / विपक्षी सं. 2 का [illegible] तामील नोटिस प्राप्त किये शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली वास्ते तलबी (1) शेष 7/9/21 को पेश हो।	
11/10/21	पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प ग्रा.प.का.खेड़ा [illegible] वादी / प्रतिवादी [illegible] के संग अभियान में [illegible] आपसी सहमति नहीं [illegible] पत्रावली आगामी दिनांक 18/1/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी / रीडर माण्डलगढ़	
18/1/22	पत्रावली प्रस्तुत हुई। [illegible] प्रतिवादी उपस्थित [illegible] पीठासीन अधिकारी पद रिक्त [illegible] है। पत्रावली वास्ते तलबी आयन्दा दिनांक 26/4/22 को पेश हो।	
26/4/22	पत्रावली प्रस्तुत [illegible] प्रतिवादी उपस्थिति पीठासीन [illegible] अन्यकार्य में व्यस्त [illegible] है। पत्रावली वास्ते तलबी आयन्दा दिनांक 12/7/22 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अफसर	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
12/03/24	राज्य सरकार [illegible]) विभाग के अधिसूचना क्रमांक प. 9/(1 1) [illegible] काठोला दिनांक 03 अगस्त 2023 तथा [illegible] क्रमांक 9 (18) राज.1/2022 जयपुर [illegible] 06-10-2023 द्वारा उपखण्डीय काछोला [illegible] की तहसील काछोला [illegible] माण्डलगढ़ [illegible] जिला शाहपुरा में क्रमोन्नत [illegible] राजस्व के क्षेत्राधिकार में हो [illegible] न्यायालय की मूल [illegible] मुन्तकील की जाती है। BJS. उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़	
26/6/24	पत्रावली राज्य सरकार के आदेश से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ से प्राप्त हुई। पत्रावली तलबी आगामी दिनांक 16/8/24 को पेश हो उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	
16/8/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 18/9/24 को वास्ते तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
18/9/24	पत्रावली पेश हुई पत्रावली में वादी/प्रतिवादी को नोटिस जारी किए गए। पत्रावली वास्ते तलबी आगामी दिनांक 24/10/24 को पेश हो	
24-10-24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 12-11-24 को वास्ते तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	

पत्रावली पेश हुई प्रार्थी व अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गए। जो बाद तामील शामिल पत्रावली किए गए। प्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता सुरेश कुमार शर्मा ने अधिकार पत्र पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी को 3 बार आवाज लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षी के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए। तहसीलदार माण्डलगढ़ की रिपोर्ट पूर्व में प्राप्त हो चुकी है। पत्रावली वास्ते बहस/निर्णय आगामी पेशी दिनांक 19/11/24 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

पत्रावली पेश हुई पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखवाकर खुले न्यायालय में सुनाए गए। तहसीलदार बिजौलिया को पालनार्थ की जरिये पत्रावली फैसल शुमार होकर, दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्री अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ

प्रार्थनापत्र संख्या :– 34/21 (माण्डलगढ़) **दायर तारीख 24.03.2021 (माण्डलगढ़)**

:– 234/24 (बिजौलिया) **:–26.06.2024 (बिजौलियां)**

अनवान

01. हीरालाल पिता गोविन्दराम जाति रेगर उम्र 40 साल पेशा कृषि निवासी चोकड़ी तहसील खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर

..................प्रार्थी

बनाम

1. राजेन्द्रसिंह पिता रूपसिंह जाति तंवर उम्र 55 वर्ष पेशा व्यापार निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार साहब माण्डलगढ़

................प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

–श्री सुरेश शर्मा, निर्मल कुमार खटीक, महेश चन्द्र सुखवाल ....अधिवक्ता प्रार्थीगण

–एक पक्षीय कार्यवाही ....अधिवक्ता विपक्षी

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :–19/11/2024

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री महेशचन्द्र सुखवाल ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया/अनुतोष चाहा कि प्रार्थी ग्राम उन्द्रों का खेडा पटवार हल्का माल का खेड़ा तहसील बिजौलियां के खाता संख्या 17 के खसरा नम्बर 632/10, क्षेत्रफल 0.1376 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 633/10, क्षेत्रफल 0.1376 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 634/10, क्षेत्रफल 0.1376 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 635/10, क्षेत्रफल 0.1457 हैक्टेयर, कुल किता 04 क्षेत्रफल 0.5585 क्षेत्रफल भूमि का खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थी को स्वयं के खेत में पैदल , मोटर साईकल, ट्रेक्टर, बैलगाड़ी से आने जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता है। प्राथी, विपक्षी राजेन्द्रसिंह पिता रूपसिंह तंवर निवासी बिजौलियां की ग्राम उन्द्रों का खेड़ा पटवारह हल्का माल का खेड़ा तहसील बिजौलियां के खाता संख्या 220 में अंकित खसरा संख्या 10/2 क्षेत्रफल 1.3112 भूमि वर्गीकरण बाराना तृतीय की उत्तरी सीमा पर 20 फीट रास्ता चाहता है। जिसकों प्रार्थना पत्र के साथ पेश नजरी नक्शे में लाल स्याई से दर्शाया गया हैं। राजस्व रेकॉर्ड में उक्त रास्ते का अंकन नही होने से प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रास्ते की मांग की हैं। रास्ता हेतु दर्ज होने वाली आराजीयात की कीमत प्रार्थी अदा करने को तैयार हैं। रास्ता आराजी संख्या 10/2 में 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रदान कराया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षीगण की तलबी करवायी गयी। विपक्षीगण बाद सूचना अनुपस्थित रहा। विपक्षी को 03 बार आवाज लगाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआं। विपक्षी के विरूध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ नक्शा ट्रेस, नकल जमाबंदी पेश की जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार माण्डलगढ़ की और से पेरोकार सरकार उपस्थित। तहसीलदार माण्डलगढ़ को तथ्यात्मक रिपोर्ट के लिए दिनांक 16.08.2021 को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार माण्डलगढ़ से क्रमांक/राजस्व/2023/44 दिनांक 08.02.2023 को बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर पहुंचने हेतु ग्राम उन्द्रों का खेड़ा पटवार हल्का उन्द्रों का खेड़ा स्थित विपक्षी राजेन्द्रसिंह पिता रूपसिंह तंवर निवासी बिजौलियां की भूमि आराजी नं 10/2 रकबा 1.3112 है में से 0.0294 है भूमि रास्ते के उपयोग में आवेगी। उक्त भूमि की रास्ते हेतु अनुशंषा की जाती है। ग्राम उन्द्रों का खेड़ा पटवार हल्का माल का खेड़ा की डी.एल.सी. 342730 रू प्रति हैक्टेयर है। प्रस्तावित रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि 0.0294 हैक्टयर भूमि की मालियत की दुगुनी राशि 20580/– रूपये अक्षरे बीस हजार पॉच सौ अस्सी रूपये बनती है। विपक्षी को मोबाईल के जरिये सूचना दी गई परन्तु विपक्षी मौके पर उपस्थित नहीं हुआ। तहसीलदार बिजौलियां की रिपोर्ट, पटवारी एवं भू.अभि.निरिक्षक का मौका पर्चा, प्रमाणित जमाबंदी , नक्शा ट्रेस , एवं उप पंजीयक माण्डगढ द्वारा जारी डी.एल.सी. की कॉपी पत्रावली के साथ संलग्न है।

राज्य सरकार एवं श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा के आदेश से पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां को स्थानान्तरित की गई। जिसे न्यायालय बिजौलियां मे दर्ज रजिस्टर किया गया। एवं प्रार्थी एवं विपक्षी को सूचनार्थ तामिल भेजी गई प्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता सुरेश कुमार शर्मा ने अधिकार पत्र पेश किया । विपक्षी बाद सूचना अनुपस्थित रहा। पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों एवं तहसीलद़ार माण्डलगढ़ की रिपोर्ट का अध्ययन किया गया एवं प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में मौके पर दर्ज नहीं है। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनने एवं तहसीलदार माण्डलगढ से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन/मनन करने के पश्चात आदेश पारित किए जाते हैं कि:–

–:आदेश:–

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्वीकार किया जात है कि प्रार्थीगण के स्वयं की खातेदारी ग्राम उन्द्रों का खेडा पटवार हल्का माल का खेड़ा तहसील बिजौलियां के खाता संख्या 17 के खसरा नम्बर 632/10, क्षेत्रफल 0.1376 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 633/10, क्षेत्रफल 0.1376 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 634/10,क्षेत्रफल 0. 1376 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 635/10, क्षेत्रफल 0.1457 हैक्टेयर, कुल किता 04 क्षेत्रफल 0.5585 क्षेत्रफल भूमि में स्वयं के पैदल , मोटर साईकल, ट्रेक्टर, बैलगाड़ी से आने जाने के लिए रास्ते हेतु विपक्षी राजेन्द्रसिंह पिता रूपसिंह तंवर निवासी बिजौलियां की ग्राम उन्द्रों का खेड़ा पटवारह हल्का माल का खेड़ा तहसील बिजौलियां के खाता संख्या 220 में अंकित खसरा संख्या 10/2 क्षेत्रफल 1.3112 में से 0.0294 हैक्टेयर भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुनकीन रास्ता (रास्ता पगडंडिया) अभिलिखित करने के आदेश दिये जाते हैं।

प्रस्तावित रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. दर 342730/–रूपये प्रति हैक्टेयर में से 0.0294 हैक्टेयर भूमि की मालियत की दुगुनी राशि 20580/– अक्षरे बीस हजार पॉच सौ अस्सी रूपये बनती है। बतौर मुआवजा भुगतान योग्य हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि जमा कराने पर नियमानुसार रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 19/11/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां